# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(49)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4549-दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 31-10-2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर अपील प्रकरण क्रमांक 89/2012-13.

---

तुलसीराम पिता मांगु गरवाल
निवासी ग्राम भमती तहसील पेटलावद .....आवेदक

विरूद्ध

1. मोहन पिता हिरका डामर भील
   निवासी ग्राम नवापाड़ा (डाबडी)
   तहसील पेटलावद
2. संतोष पिता बरगत बिलवाल
   निवासी ग्राम नवापाड़ा
   तहसील पेटलावद
3. सुखराम पिता दल्ला निनामा
4. शम्भुलाल पिता नानजी निनामा
   निवासीगण ग्राम डाबडी
   तहसील पेटलावद
5. नारसिंग पिता शम्भु डोडियार
   निवासी ग्राम नवापाड़ा (डाबडी)
   तहसील पेटलावद
6. भेरूलाल पिता थावरसिंग कटारा
   निवासी ग्राम छावनी
   तहसील पेटलावद
7. सरपंच ग्राम पंचायत डाबडी
   तहसील पेटलावद
8. सचिव ग्राम पंचायत डाबडी
   तहसील पेटलावद
9. उप सरपंच ग्राम पंचायत डाबडी
   तहसील पेटलावद
   समस्त जिला झाबुआ .....अनावेदकगण

श्री मुकेश तारे, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1

---

**:: आ दे श ::**

**(आज दिनांक 6/12/18 को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-10-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कलेक्टर जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 3046/97/भू.अभि./रा.नि.क./2011 दिनांक 17-10-2011 से ग्राम डाबडी में कोटवार के पद पर नियुक्ति के आदेश दिये जाने पर नायब तहसीलदार, सारंगी द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/अ-56/2011-12 संस्थित कर विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाकर ग्राम पंचायत डाबडी को ग्राम सभा आयोजित कर प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी एक आवेदक के संबंध में ग्राम सभा से ठहराव प्रस्ताव पारित कर अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये । ग्राम सभा से ठहराव प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 31-1-12 को आदेश पारित कर अनावेदक क्रमांक 1 को कोटवार पद पर पदस्थ करने का आदेश दिया गया । नायब तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, पेटलावद के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27-11-2012 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार करते हुए आवेदक की नियुक्ति कोटवार पद पर की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31-10-2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर, नायब तहसीलदार का आदेश स्थिर रखते हुए अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) तहसील न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत के जिस ठहराव प्रस्ताव के आधार पर नियुक्ति की गई है, वह विधि अनुसार नहीं है, क्योंकि उक्त ठहराव प्रस्ताव पर उम्मीदवारों, प्रस्तावक, पंचगण, ग्राम सभा के अध्यक्ष के हैं । ठहराव प्रस्ताव में यह उल्लेख नहीं है कि कौन-कौन से

पंच उपस्थित हुए, न ही पंचों के ठहराव प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हैं और न ही प्रस्तावक एवं अनुमोदक के हस्ताक्षर हैं । स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिक व संदेहास्पद ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 की नियुक्ति करने में पूर्णत: विधि विपरीत कार्यवाही है, जिसके संबंध में ग्रामवासियों ने लिखित आपत्ति प्रस्तुत की थी, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा इस संबंध में न तो आदेशिका में कोई उल्लेख किया और न ही उस पर कोई विचार किया । अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, जिसे अपर आयुक्त ने निरस्त करने में भारी वैधानिक भूल की गई है । इस संबंध में अध्यक्ष, राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त नाहरसिंग विरूद्ध फूलसिंह आदेश दिनांक 27-7-2017 प्रस्तुत किया गया ।

(2) आवेदक के पक्ष में ग्राम पंचायत के पंचों द्वारा सामुहिक रूप से शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये, जिसमें उल्लेखित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 30-1-2012 को अनावेदक क्रमांक 1 के पक्ष में किसी भी प्रकार से कोई ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है और नही दिनांक 30-1-2012 को ग्राम सभा आयोजित की गई । इस संबंध में ग्रामवासियों द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष सामुहिक रूप से आपत्ति दर्ज करवाई गई थी, उसके उपरांत भी तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की गई है, इसके बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखने में भारी वैधानिक भूल की है । इस संबंध में अध्यक्ष, राजस्व मण्डल द्वारा नातू गणावा विरूद्ध जगदीश आदि के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 14-1-2016 की प्रति प्रस्तुत की गई ।

(3) अपर आयुक्त द्वारा इस बात पर कोई गौर नहीं किया कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में दिनांक 3-12-2012 को ग्राम सभा किये जाने का उल्लेख है, जबकि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 30-1-2012 के ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव के आधार पर आदेश पारित किया गया है । उक्त दस्तावेज संदेहास्पद होकर कूटरचित रूप से सरपंच व सचिव द्वारा तैयार किये गये हैं, जो कि विधिवत ठहराव प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है, इसलिए ठहराव प्रस्ताव की श्रेणी में आने वाला दस्तावेज नहीं है । इस संबंध में अध्यक्ष, राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त नाहरसिंग विरूद्ध फूलसिंह आदेश दिनांक 27-7-2017 प्रस्तुत किया गया ।

(4) म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज, अधिनियम, 1993 की धारा 7(क) के तहत ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के पूर्व एजेण्डा सभी ग्रामीणजनों को सूचित किये जाने हेतु निकाले जाने का

प्रावधान है, जिसमें ग्राम सभा आयोजित किये जाने का समय, दिनांक, स्थान की घोषणा डोंडी पिटवाकर किये जाने के संबंध में प्रावधान किये गये हैं, लेकिन ऐसा कोई भी एजेण्डा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है और बाले-बाले व संहिता के प्रावधानों के विपरीत दस्तावेज तैयार किया, जिसे ठहराव प्रस्ताव मानकर आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) तहसील न्यायालय द्वारा अपने आदेश में उम्मीदवारों के दावों के संबंध में उनकी अर्हताओं व अनहर्ताओं, उपयुक्त व अनुपयुक्त तथा विभिन्न उम्मीदवारों की सापेक्षिक उपयुक्तता कोटवार पद के कर्तव्यों और दायित्वों के संदर्भ में किसी प्रकार से अपने आदेश में उल्लेखित नहीं किया है और न ही अनावेदक क्रमांक 1 व आवेदक व अन्य आवेदक से कोटवार पद हेतु क्यों उपयुक्त हैं, इसके संबंध में कोई कारण अपने आदेश में नहीं दर्शाया गया है, इसके बावजूद भी तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा भारी वैधानिक भूल की गई है ।

(6) तहसील न्यायालय द्वारा अपने आदेश में अनावेदक क्रमांक 1 की नियुक्ति किये जाने के संबंध में कोई कारण अपने आदेश में उल्लेखित नहीं किया गया है, जबकि आवेदक के पास अधिक अर्हता थी तथा क्षैक्षणिक योग्यता अधिक होते हुए भी, इन तथ्यों पर गौर किये बिना आदेश पारित करने में वैधानिक भूल की है । इस तर्क में समर्थन में 1987 आर.एन. 2008 एवं 2011 (2) छत्तीसगढ़ राजस्व जजमेंट छत्तीसगढ़ के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

(7) अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 230 में नियम 04(1) व 04(2) में कोटवार की नियुक्ति के संबंध में जो प्रावधान दिये गये हैं, उन प्रावधानों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित करने में भारी वैधानिक भूल की है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) संहिता की धारा 230 के कोटवारी नियमों में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को अधिमान्यता देने के संबंध में नियम 4(1) में संशोधन की अधिसूचना दिनांक 17-3-1997 को जारी हुई है और उसका प्रकाशन म.प्र. राजपत्र में दिनांक 23-4-1999 को किया गया है । सदर प्रकरण में ग्राम पंचायत डाबड़ी द्वारा दिनांक 30-1-2012 को ग्राम सभा में अनावेदक क्रमांक 1 मोहन पिता हिरका डामर के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया था । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 को अस्थायी कोटवार पद पर नियुक्त किये जाने बावत् विधिक आदेश पारित किया था, जिसे निरस्त करने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधिक की गंभीर त्रुटि की थी और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अवैधानिक आदेश को निरस्त करने में द्वितीय

अपीलीय न्यायालय ने कोई भी वैधानिक त्रुटि नहीं की है । इस तर्क के समर्थन में 2000 आर.एन. 272 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

(2) संहिता की धारा 230 नियम 4 के अंतर्गत अस्थायी कोटवार की नियुक्ति के अधिकार तहसील न्यायालय को प्राप्त होने से तहसील न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अनावेदक क्रमांक 1 की नियुक्ति बावत् विधिक आदेश पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं होते हुए भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अवैधानिक आदेश पारित किया था, जिसे निरस्त करने में द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने विधि की कोई भी त्रुटि नहीं की है । इस तर्क में समर्थन में 1985 आर.एन. 36 एवं 2001 आर.एन. 283 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

(3) प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अनावेदक क्रमांक 1 की विधिवत अस्थायी कोटवार पद पर हुई नियुक्ति को निरस्त करते हुए आवेदक की कोटवार पद पर नियुक्ति करने संबंधी आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है, जबकि आवेदक के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव ही पारित नहीं किया था । अत: प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अधिकारिता रहित अवैध आदेश को निरस्त करने में द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने विधि की कोई त्रुटि नहीं की है।

(4) अनावेदक क्रमांक 1 तहसील न्यायालय द्वारा उसकी अस्थायी कोटवार पद पर की गई नियुक्ति दिनांक 31-1-2012 से आज तक उक्त पद पर शासन के नियमानुसार कार्य कर रहा है एवं उसके कार्य से ग्राम पंचायत डाबड़ी के पदाधिकारीगण एवं प्रशासकीय अधिकारीगण पूर्ण संतुष्ट हैं एवं ग्राम पंचायत डाबड़ी के सरपंच द्वारा द्वितीय अपीलीलय न्यायालय के समक्ष अनावेदक क्रमांक 1 के कार्य को संतोषप्रद होना उल्लेखित किया है । अत: आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा ग्राम डाबडी में रिक्त कोटवार पद की नियुक्ति हेतु पंचायत डाबडी की ग्राम सभा से ठहराव प्रस्ताव प्राप्त किया गया है, जिसमें ग्राम सभा द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 मोहन के पक्ष में ठहराव प्रस्ताव पारित किया है । तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 230 के अंतर्गत बने नियम 2 के प्रावधानों के अनुसार अनावेदक क्रमांक 1 मोहन को कोटवार पद हेतु उपयुक्त पाये जाने पर अनावेदक क्रमांक 1 को कोटवार के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालते हुए निरस्त करने में त्रुटि की गई

है । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत निष्कर्ष निकाला गया है तहसीलदार संहिता की धारा 230 के अन्तर्गत बने नियम 4(1) के तहत उम्मीदवारों के दावों को ध्यान रखते हुए उपयुक्त व्यक्ति को कोटवार पद पर नियुक्त करता है । उम्मीदवारों की योग्यता की तुलना करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होती है । न्याय दृष्टान्त 1985 आर.एन. 36 पदुमलाल विरूद्ध सहदेव तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

> ''धारा 230, 44 तथा 50–कोटवार की नियुक्ति–अपील अथवा पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि नियुक्त व्यक्ति अनर्ह या नियुक्ति स्पष्टत: अनियमित न हो ।''

उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर, तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखने में कोई भूल नहीं की गई है, इसलिए अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा उठाये गये आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-10-2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

**(मनोज गोयल)**
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर